



2026:AHC:17040

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**रिट - सी संख्या - 46131 सन् 2025**

सुनील कुमार सिंह

..... याचिककर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 9 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिककर्ता(गण) के अधिवक्ता: मनोज कुमार दुबे, विपुल कुमार दुबे

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

**न्यायालय संख्या - 6**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया**

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत प्रकरण में पारित किए जाने वाले आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रत्यर्थी को नोटिस देने एवं इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी प्रयोजन नहीं रह जाता। तथापि, यदि निजी प्रत्यर्थी इस आदेश से व्यथित अनुभव करे, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. याचीगण ने प्रस्तुत याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की है कि प्रत्यर्थी संख्या-2/आयुक्त, आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को निर्देशित किया जाए कि वे अपील संख्या 1504 वर्ष 2022 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टीसी202215000001504) को शीघ्रता से निर्णीत करें।
4. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि उ.प्र. भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(4) के अंतर्गत दायर उपरोक्त अपील दीर्घकाल से लंबित है तथा पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के बावजूद आज तक इस विषय में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
5. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी संख्या-2 उक्त विषय को शीघ्रता से निर्णीत करेंगे।
6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के आलोक में, प्रत्यर्थी संख्या-2/आयुक्त, आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त अपील को, समस्त आवश्यक पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, अपने गुण-दोष के आधार पर विधि के अनुसार शीघ्रता से निर्णीत करें, परंतु जब तक कोई विधिक बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दें।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

22 जनवरी, 2026

सकलैन

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।